सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 199 राँची ,मंगलवार 17 चैत्र 1937 (श०)

7 अप्रैल, 2015 (ई०)

नगर विकास विभाग

संकल्प

21 मार्च, 2015

विषयः- केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम ***Jn*NURM** के घटक **Urban Infrastructure & Governance (UIG)** एवं **Urban Infrastructure Development for Small and Medium Town (UIDSSMT)** से संबद्ध योजनाओं के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु नई योजना **Completion of JnNURM Schemes** के अधीन राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या- **2/**न0वि**0/**विविध (**JNNURM**)-**157/2009-1068--** भारत सरकार द्वारा ***Jn*NURM** मिशन के घटक **UIG** तथा **UIDSSMT** अन्तर्गत आधारभूत संरचना एवं नागरिक सुविधाओं के विकास के तहत शहरी जलापूर्ति**,** ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं ई-गर्वनेन्स से संबंधित योजना की स्वीकृति **2008** से **2012** तक सम्पन्न विभिन्न केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (**CSMC**) तथा राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (**SLSC**) के द्वारा प्रदान की गई है ।

2. योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर किया जा रहा है परन्तु उक्त योजनाओं को विभिन्न कारणों यथा भूमि की अनुपलब्धता**,** निकाय स्तर पर संसाधनों की कमी तथा कतिपय अन्य कारणों से समय पूरा नही किया जा सका है ।

3. वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक **59(1)PFI/2013-1606** दिनांक **28 फरवरी, 2014** एवं शहरी विकास मंत्रालय**,** भारत सरकार के विभिन्न पत्रों द्वारा यह सूचित किया गया है कि मार्च**, 2014** के पूर्व स्वीकृत सभी ***Jn*NURM** योजनाओं को मिशन की विस्तारित अवधि अर्थात मार्च **2014** तक पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा योजनाओं को पूर्ण करने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्य को अपने राजस्व स्रोत से करनी होगी ।

राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति के आलोक में विभाग स्तर से एवं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से भारत सरकार के मंत्रालय एवं माननीय शहरी विकास मंत्री को अनेक बार लंबित केन्द्रांश की विमुक्ति का अनुरोध किया गया परन्तु लंबित केन्द्रांश विमुक्त करने पर भारत सरकार द्वारा असमर्थता व्यक्त की गई है ।

4. उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के समक्ष मात्र यह विकल्प बच गया कि कि वह लंबित केन्द्रांश राशि के साथ-साथ राज्य एवं निकाय अंश के दायित्व का वहन राज्य योजना मद से करे ।

5. ***Jn*NURM** के अधीन स्वीकृत योजनाओं के विरूद्ध लंबित केन्द्रांश**,** रांची शहरी जलापूर्ति योजना के पुनरीक्षण तथा उक्त योजना के **26.11** प्रतिशत अधिक दर पर निविदा स्वीकृति के कारण वर्द्धित राशि सहित योजनाओं को पूर्ण करने हेतु अनुमान्य दायित्व की कुल राशि निम्नवत है:

Rs. in Crore

Sl. no	Name of ULB	Name of Scheme	Date of CSMC Meeting	Total Project cost approved by CSMC	Sanctioned Central Grant	Released Central Grant	Outstanding Central Grant including enhanced revised cost	Tentative
1	2	3	4	5	6	7	9	10
A. UIG								
1	Ranchi Municipal Corporation	Water supply Scheme	55/19.08.08	288.39 Revised Cost-373.06	230.71	149.96	Pending Central Share-80.75 Revised Project cost-60.13 (80.75+84.67+60.13 =225.55)	2016-17
2	Ranchi Municipal Corporation	Solid Waste Management	69/20.02.09	51.39	41.11	16.45	24.66	2016-17
3	Dhanbad Municipal Corporation	Water supply Scheme	60/21.11.08	365.85	182.93	118.9	64.03	2015-16
4	Dhanbad Municipal Corporation	Solid Waste Management	69/20.02.09	55.86	27.93	6.98	20.95	2017-18
5	Jamshedpur (UA)	Solid Waste Management	17.02.11	33.36	16.68	4.17	12.51	2016-17
Total							**(202.90+84.67 +60.13 =347.70)**	

B. UIDSSMT								
1	Chas (Bokaro)	Solid Waste Management	SLSC/14.09.14	5.68	4.54	2.36	2.18	2015-16
2	Hazaribagh	Solid Waste Management	SLSC/14.09.14	5.69	4.55	2.36	2.19	2016-17
3	Lohardaga	Solid Waste Management	SLSC/14.09.14	4.48	3.58	1.86	1.72	2016-17
4	Chaibasa	Water supply Scheme	SLSC/14.09.14	33.4	26.72	13.36	13.36	2016-17
TOTAL							**19.45**	
Grand Total (A & B)							**(222.35+84.67+60.13 =367.15)**	

6. उपर्युक्त विवरण के कॉलम 9 में अंकित *Jn*NURM के UIG एवं UIDSSMT घटक के अधीन स्वीकृत परन्तु अधूरी योजनाओं को पूरा करने हेतु कुल रूपये 367.15 करोड़ का वित्तीय दायित्व राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। संदर्भित योजनाओं को उपर्युक्त विवरणी के कॉलम - 10 में अंकित अवधि में पूर्ण किया जाना बाध्यकारी होगा ।

7. उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मार्च, 2015 में मद संख्या - 14 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,

सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 199—50 +100 ।